न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2015
RCMS Case No. 2015/00025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भीमसिंह दत्तक पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 चम्पालाल पुत्र नारायण जाति कारीगर निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन 2 ग्राम पंचायत दूदौड़ तहसील मारवाड जंक्शन जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 व उनके अधिवक्त अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/02/2018

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 23/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 546 को अपास्त कराने का निवेदन किया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख) मारवाड जंक्शन के समक्ष एक वाद वास्ते दिलाये जाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक आज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त भूमि का उसके द्वारा पट्टा प्राप्त किया गया है। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से उक्त भूमि के पट्टे, मिसल एवं अन्य दस्तावेजों की मांग की, तब उक्त मिसल एवं रेकर्ड ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। प्रार्थी द्वारा अपने दावा में जो स्थान बताया है, वह स्थान एवं उसके आसपास का समस्त स्थान प्रार्थी का पुश्तैनी था। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट कर जैर निगरानी पट्टा बनवा दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा पारित करने से पूर्व किसी भी नियम की पालना नहीं की है तथा प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि का पट्टा जारी करने के दौरान प्रार्थी को किसी भी रूप में सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष न तो अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही कोई मिसल कायम की गई। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने के जो नियम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रावधित है, उनमें से किसी भी नियम की पालना नहीं की गई तथा बिना किसी आवेदन के ही मिसल कायम की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 23/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 546 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.07.2017 के जरिये अवगत कराया कि सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस पर पट्टा बुक का अवलोकन किया गया। नियमानुसार पट्टा बुक में पट्टा तीन प्रतियों में तैयार किया जाता है, जिसमें से प्रथम प्रति आवेदक को प्रदान की जाती है, द्वितीय प्रति पंचायत समिति को प्रेषित की जाती है तथा तृतीय प्रति पंचायत कार्यालय की प्रति होती है। पट्टा बुक संख्या 11 में पट्टा संख्या 546 दोहरी प्रतियों में उपलब्ध है तथा अतिरिक्त प्रथम प्रति सम्भवतः आवेदक को प्रदान की गई है। उपलब्ध दोनो प्रतियों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दोनों ही प्रतियों में जिस प्रस्ताव की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, उसके प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक विरोधाभाषी है। एक प्रति पर प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.11.2004 अंकित है, जबकि दूसरी प्रति पर प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14.12.2004 कैम्प अंकित है। उक्त दोनों ही तथ्य विरोधाभाषी है, जो ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को संदेहास्पद बनाता है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा प्रथम दृष्टया विधि सम्मत नहीं पाया जाता है। जिसे कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या मिसल संख्या 23/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 546 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

यह निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली